ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax : 011-2323 8858
E-mail : secy.ugc@nic.in

प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सितंबर, 2022

अ०श०मि.स० 1-15/2009 (एआरसी) पीटी.III

16 SEP 2022

प्रिय महोदया / महोदय,

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या 887/2009 दिनांक 8.5.2009 से प्राप्त निर्देशों तथा भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग- निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए यू.जी.सी. के अधिनियम 1956 धारा 26 उपखंड (G) उपखंड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यू.जी.सी. ने "उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009" को अधिसूचित किया है। संपूर्ण जानकारी के लिये यह अधिनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट: www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर उपलब्ध है। यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित किया गया यह अधिनियम सभी शिक्षण संस्थानों के लिये अनिवार्य है और सभी संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए निगरानी प्रक्रिया सहित अन्य आवश्यक कदम उठायेंगे और इस अधिनियम में उल्लेखित भागों के किसी भी तरह के उल्लंघन को उनके द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई संस्थान रैगिंग को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहता है या यू.जी.सी. द्वारा अधिसूचित अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है और रैगिंग की घटनाओं के दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने में विफल रहता है तो यूजीसी द्वारा उस संस्थान के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

इस संदर्भ मे सभी संस्थानों से अनुरोध है कि विभिन्न रैगिंग-रोधी माध्यमों के पर्याप्त प्रचार प्रसार, रैगिंग-रोधी समिति एवं रैगिंग-रोधी दस्ते का गठन, रैगिंग-रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर, रैगिंग-रोधी कार्यशालाएं और सेमिनार का आयोजन, सभी वेबसाइटों को नोडल अधिकारियों के पूर्ण विवरण सहित अपडेट कर, अलार्म घंटी आदि द्वारा रैगिंग-रोधी तंत्र को आगे बढाएं। छात्रों से नियमित बातचीत और काउंसलिंग, शरारती छात्रों की पहचान और संस्थान के ई- प्रोस्पेकटस और ई- सूचना पुस्तिकाओं / विवरणिकाओं में रैगिंग-रोधी चेतावनी का उल्लेख सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, हॉस्टल, छात्रावास, जल पान गृह, विश्राम व मनोरंजन कक्ष, शौचालयों व बस अड्डों का औचक निरीक्षण किया जाए तथा संस्थान का प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालयों, जल पान गृह, हॉस्टल, सार्वजनिक सुविधायें आदि जैसे सभी प्रमुख स्थानों पर रैगिंग-रोधी पोस्टर लगाये जाएं। ये पोस्टर यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है। पोस्टरों का आकार 8 x6 फीट होना चाहिए। संस्थान रैगिंग व किसी अनुचित व्यवहार / घटना की रोकथाम के लिये कोई अन्य उंचित उपाय भी कर सकते हैं।

रैगिंग से जुड़ी घटनाओं के कारण संकट में पड़े छात्र राष्ट्रीय रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 (24x7 टोलफ्री) पर कॉल कर सकते हैं या रैगिंग-रोधी helpline@antiragging.in पर ई-मेल कर सकते हैं। रैगिंग संबंधित अन्य जानकारी के लिये कृपया यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in और www.antiragging.in पर जाएँ और यूजीसी की निगरानी एजेंसी अर्थात सेंटर फॉर यूथ (सी4वाई) के मोबाइल नंबर 09818044577 पर संपर्क करें (केवल आपातकाल के मामले में)।

यूजीसी विभिन्न प्रकार के रैगिंग - रोधी मीडिया अभियान भी चलाती है और यूजीसी ने रैगिंग निषेध को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की हैं जो यूजीसी की वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध हैं:-

क) यूजीसी ने माता-पिता, पीड़ित और दोषियों के परिप्रेक्ष्य में पांच टीवी क्लिप (प्रत्येक 30 सेकंड) तैयार की हैं।

ख) यूजीसी ने चार प्रकार के पोस्टर तैयार किये हैं और इनको विश्वविद्यालयों/ नियामक प्राधिकरणों / परिषदों / आईआईटी / एनआईटी / अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित करने के लिए आवंटित किया है।

COLLEGE OF EDUCATION KHAROD Code 32 (DP)

PRINCIPAL
College of Education

CS CamScanner

CONTINUATION SHEET

ग) यूजीसी ने छात्रों/ शिक्षकों/ आम जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाने के लिये रैगिंग-रोधी विषय से संबंधित दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है।

यूजीसी विनियमों के दूसरे संशोधन के अनुपालन में, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक छात्र और प्रत्येक माता-पिता द्वारा www.antiragging.in पर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एक ऑनलाइन वचनबंध (Undertaking) जमा करना अनिवार्य बनाएं।

आपसे यह भी अनुरोध है कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन रैगिंग-रोधी शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया को लागू करें। छात्रों को उसकी पंजीकरण संख्या के साथ एक ई-मेल प्राप्त होगा। छात्र उस ई-मेल को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नोडल अधिकारी के ई-मेल में अग्रेषित करेगा। **(कृपया ध्यान दें कि छात्रों को पीडीएफ शपथ-पत्र प्राप्त नहीं होगा और उन्हें इसे प्रिंट कर हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पहले के मामले में हुआ करता था)।**

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की रैगिंग रोधी समिति के नोडल अधिकारी का ई-मेल, पता और संपर्क नंबर अपनी वेबसाइट और परिसर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे प्रवेश केंद्र, विभागों, पुस्तकालय, कैंटीन, छात्रावास और सामान्य सुविधा आदि स्थानो पर प्रदर्शित करना होगा।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र में निम्नवत एक अनिवार्य कॉलम डालें:

रैगिंग रोधी वचन पत्र संदर्भ संख्या:	

विश्वविद्यालयों से यह भी अनुरोध है कि वे ऑनलाइन अनुपालन www.antiragging.in पर भरें और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी महाविद्यालयों को भी इसका पालन करने का निर्देश दें।

सादर,

भवदीय,

रजनीश

(रजनीश जैन)

<u>सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति</u>

COLLEGE OF EDUCATION KHAROD Code 32 (DP)

PRINCIPAL
College of Education
Kharod. Ta. Ankleshwar